

Seventeenth Loksabha

&gt;

Title: Papers laid on the Table of the House by Members/Ministers.

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 1 से 8, माननीय मंत्री जी ।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** माननीय अध्यक्ष जी, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2020 जो 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1233(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 2661/17/20]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंस्ट्र्यूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) इंस्ट्र्यूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 2662/17/20]

- (2) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

### तेरहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 58 तीसरा सत्र, 2000

[Placed in Library, See No. LT 2663/17/20]

2. विवरण संख्या 50 छठा सत्र, 2001

[Placed in Library, See No. LT 2664/17/20]

### चौदहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 33 दूसरा सत्र, 2004

[Placed in Library, See No. LT 2665/17/20]

4. विवरण संख्या 34 पांचवां सत्र, 2005

[Placed in Library, See No. LT 2666/17/20]

5. विवरण संख्या 36 सातवां सत्र, 2006

[Placed in Library, See No. LT 2667/17/20]

6. विवरण संख्या 28 आठवां सत्र, 2006

[Placed in Library, See No. LT 2668/17/20]

7. विवरण संख्या 33 नौवां सत्र, 2006

[Placed in Library, See No. LT 2669/17/20]

8. विवरण संख्या 26 ग्यारहवां सत्र, 2007

[Placed in Library, See No. LT 2670/17/20]

9. विवरण संख्या 26 पंद्रहवां सत्र, 2009

[Placed in Library, See No. LT 2671/17/20]

### पंद्रहवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या 38 दूसरा सत्र, 2009

[Placed in Library, See No. LT 2672/17/20]

11. विवरण संख्या 31 तीसरा सत्र, 2009

[Placed in Library, See No. LT 2673/17/20]

12. विवरण संख्या 32

चौथा सत्र, 2010

[Placed in Library, See No. LT 2674/17/20]

13. विवरण संख्या 32

पांचवां सत्र, 2010

[Placed in Library, See No. LT 2675/17/20]

14. विवरण संख्या 30

छठा सत्र, 2010

[Placed in Library, See No. LT 2676/17/20]

15. विवरण संख्या 30

सातवां सत्र, 2011

[Placed in Library, See No. LT 2677/17/20]

16. विवरण संख्या 33

आठवां सत्र, 2011

[Placed in Library, See No. LT 2678/17/20]

17. विवरण संख्या 30

नौवां सत्र, 2011

[Placed in Library, See No. LT 2679/17/20]

18. विवरण संख्या 29

दसवां सत्र, 2012

[Placed in Library, See No. LT 2680/17/20]

19. विवरण संख्या 27

ग्यांरहवां सत्र, 2012

[Placed in Library, See No. LT 2681/17/20]

20. विवरण संख्या 25

बारहवां सत्र, 2012

[Placed in Library, See No. LT 2682/17/20]

21. विवरण संख्या 26

तेरहवां सत्र, 2013

[Placed in Library, See No. LT 2683/17/20]

22. विवरण संख्या 21

चौदहवां सत्र, 2013

[Placed in Library, See No. LT 2684/17/20]

23. विवरण संख्या 22

पंद्रहवां सत्र, 2013-14

[Placed in Library, See No. LT 2685/17/20]

### सोलहवीं लोक सभा

24. विवरण संख्या 21

दूसरा सत्र, 2014

[Placed in Library, See No. LT 2686/17/20]

25. विवरण संख्या 21

तीसरा सत्र, 2014

[Placed in Library, See No. LT 2687/17/20]

26. विवरण संख्या 20

चौथा सत्र, 2015

[Placed in Library, See No. LT 2688/17/20]

27. विवरण संख्या 17

पांचवां सत्र, 2015

[Placed in Library, See No. LT 2689/17/20]

28. विवरण संख्या 17

छठा सत्र, 2015

[Placed in Library, See No. LT 2690/17/20]

29. विवरण संख्या 15

सातवां सत्र, 2016

[Placed in Library, See No. LT 2691/17/20]

30. विवरण संख्या 15

आठवां सत्र, 2016

[Placed in Library, See No. LT 2692/17/20]

31. विवरण संख्या 14

नौवां सत्र, 2016

[Placed in Library, See No. LT 2693/17/20]

32. विवरण संख्या 12

दसवां सत्र, 2016

[Placed in Library, See No. LT 2694/17/20]

33. विवरण संख्या 12

ग्यारहवां सत्र, 2017

[Placed in Library, See No. LT 2695/17/20]

34. विवरण संख्या 10

बारहवां सत्र, 2017

[Placed in Library, See No. LT 2696/17/20]

35. विवरण संख्या 9

तेरहवां सत्र, 2017-18

[Placed in Library, See No. LT 2697/17/20]

36. विवरण संख्या 8

चौदहवां सत्र, 2018

[Placed in Library, See No. LT 2698/17/20]

37. विवरण संख्या 7

पंद्रहवां सत्र, 2018

[Placed in Library, See No. LT 2699/17/20]

38. विवरण संख्या 5

सोलहवां सत्र, 2018-19

[Placed in Library, See No. LT 2700/17/20]

39. विवरण संख्या 4

सत्रहवां सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 2701/17/20]

सत्रहवीं लोक सभा

40. विवरण संख्या 3

पहला सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 2702/17/20]

41. विवरण संख्या 2

दूसरा सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 2703/17/20]

42. विवरण संख्या 1

तीसरा सत्र, 2020

[Placed in Library, See No. LT 2704/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-



- (एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-36(1)2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-36(1)2017 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(5)/2016 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 8 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-1(3)/2016 में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)/2017 में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2019 जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)/2017 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2705/17/20]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों की भर्ती) विनियम, 2020 जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/08/2020 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2020 जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/06/2020 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/04/2020 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2706/17/20]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1087(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) आवश्यक वस्तु की कच्चे माल के रूप में घटकों तथा घटकों के मूल्य आदेश, 2020 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1169(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) मास्क (दो प्लाई और तीन प्लाई), मेल्ट ब्लॉन नॉन-वूवन फैब्रिक एण्डक हैंड सैनिटाइजर्स की कीमत निर्धारण (संशोधन) आदेश, 2020 जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1207(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) मास्क (दो प्लाई और तीन प्लाई), मेल्ट ब्लॉन नॉन-वूवन फैब्रिक एण्ड हैंड सैनिटाइजर्स की कीमत निर्धारण (संशोधन) आदेश, 2020 जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1197(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[Placed in Library, See No. LT 2707/17/20]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** माननीय अध्यक्ष जी, श्री जी. किशन रेड्डी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2708/17/20]

- (3) विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2164(अ) से का.आ. 2172 (अ) जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में "वाधवा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह, रणजीत सिंह, परमजीत सिंह, भूपेन्द्र सिंह भिण्डा, गुरमीत सिंह बग्गा, गुरपरवंत सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत सिंह" के नाम जोड़ने के संबंध में है ।

[Placed in Library, See No. LT 2709/17/20]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** माननीय अध्यक्ष जी, श्री परषोत्तम रूपाला जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) गुजरात स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2710/17/20]

(3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खजूर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 जो 10 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) काले सुवासित चावल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2711/17/20]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1253 (अ) जो 11 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को विशेष आदेश के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है ।

(दो) का.आ. 1999 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3226(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तीन) का.आ. 2000 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित की जाने वाली अनंतिम उर्वरक फॉस्फोजिप्सम (दानेदार) के संबंध में निर्दिष्टियों को अधिसूचित किया गया है ।

(चार) का.आ. 2001 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2900(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पांच) उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2002 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(छह) का.आ. 2003 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उनमें उद्धृत अनुकूलित उर्वरकों की निर्दिष्टियों को अनुकूलित उर्वरकों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(सात) उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2324 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) का.आ. 2325 (अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उनमें उद्धृत अनुकूलित उर्वरकों की निर्दिष्टियों को अनुकूलित उर्वरकों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(नौ) का.आ. 2500 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 14 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 2324(अ) में शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है ।

[Placed in Library, See No. LT 2712/17/20]

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 355(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2713/17/20]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** माननीय अध्यक्ष जी, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं वर्ष 2018-19 के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास को गति प्रदान करने और संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए इसके अनुगामी प्रयोग तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम के संबंध में 50वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 2714/17/20]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** माननीय अध्यक्ष जी, श्री रतन लाल कटारिया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2715/17/20]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** माननीय अध्यक्ष जी, श्री कैलाश चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के लेखा-परीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2716/17/20]

(3) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (तीन) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (चार) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के लेखा-परीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2717/17/20]

- (5) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।
- (दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2718/17/20]

**16.01 ½ hrs**

**\*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Unstarred Question No. 1381 to 1610)

(Pages 34 to 673)

---

\*Available in Master copy of the Debate, placed in Library.



**16.02 hrs**

**COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES**

**3<sup>rd</sup> to 9<sup>th</sup> Reports**